

# भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

**RESERVE BANK OF INDIA**  
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION  
NEW DELHI REGIONAL OFFICE



## पंजीकरण प्रमाण पत्र

### CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमा राशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या

No. B-14-02071

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर सी एम फाइनेन्स एण्ड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमा राशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार आरंभ करने / करते रहने के लिए यह

## पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

**R C M FINANCE & LEASING PRIVATE LIMITED**

is hereby granted


### **Certificate of Registration**

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन अगस्त दो हजार एक की तेरहवीं तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at  
this T HIRTEENTH day of AUGUST Two Thousand ONE.



  
GAJENDER KUMAR  
(महा प्रबंधक / Deputy General Manager)

General Manager / Deputy General Manager